न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/2685/2005 /पाली

1– हरिसिंह पुत्र जुझांरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम जवाली, तहसील देसूरी, जिला पाली ।।

–अपीलांट

बनाम

1– विजय सिंह पुत्र जुझार सिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम जवाली, तहसील देसूरी, जिला पाली ।

2– दरियाव पत्नी किशन सिंह पुत्री जुझार सिंह, जाति पुरोहित, निवासी तालकिया, तहसील जैतारण, जिला पाली।

3– कन्या पत्नी बागसिंह पुत्री जुझार सिंह, जाति पुरोहित, निवासी तालकिया, तहसील जैतारण, जिला पाली।

4– तुलसी पत्नी सरदार सिंह पुत्री जुझारसिंह, जाति पुरोहित, निवासी खटूकड़ा, तहसील देसूरी, जिला पाली ।

5– सायरी पत्नी घीसू सिंह पुत्री जुझार सिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम ढ़ारिया, तहसील देसूरी, जिला पाली।

6– चम्पा पत्नी जेठूसिंह पुत्री जुझार सिंह, जाति पुरोहित, निवासी खटूकड़ा, तहसील देसूरी, जिला पाली ।

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी, जिला पाली।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

मंजू राजपाल, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

श्री ओ0एल0 दवे अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 07.04.2022

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जवाली, तहसील देसूरी स्थित विवादित आराजी जो कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पिता स्व0 जुझार सिंह की भूमि थी जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने दोनों पत्रों अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य बराबर–बराबर बांटकर लिखित में इस बाबत् बंटवारानामा तस्दीक कर दिया जिसकी अनुपालना में विवादित आराजी जरिये नामांतकरण संख्या 181 व 182 दिनांक 03.07. 1995 को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं उसी अनुसार दोनों भाई अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । चूंकि शेष रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की बहनें है, जो शादी के बाद अपने ससुराल रह रही है तथा उनका विवादित आराजी से कभी कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है । इस विवादित आराजी के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 व अपीलांट की माता श्रीमती लहरी देवी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 विद्वान सहायक कलक्टर, देसूरी के न्यायालय में पेश कर विवादित आराजी में अपना बराबर–बराबर 1/8–1/8 हिस्सा घोषित करवाने की प्रार्थना की । उक्त वाद में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को काई सूचना दिए बिना अपीलांट की ओर से परीक्षण न्यायालय में नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया तथा परीक्षण न्यायालय ने इसके पश्चात् अपीलांट को

कोई नोटिस दिये बिना एकतरफा में निर्णय दिनांक 31.03.1998 को पारित करते हुए संपूर्ण विवादित आराजी में अपीलांट व शेष रेस्पो0 का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में पेश की जिसे भी विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलांट को एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी तथा अपील के माध्यम से एकतरफा निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2001 एवं विद्वान सहायक कलक्टर, देसूरी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1998 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस में तर्क किया कि प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को यह पूर्ण आश्वासन दे रखा था कि उसकी अपील में होने वाले अंतिम निर्णय से वे उसे पत्र द्वारा सूचित कर देंगे तथा उसे हर तारीख पेशी पर पाली आने की आवश्यकता नहीं है । इस कारण प्रार्थी अपने अभिभाषक के भरोसे रहा, जिस कारण प्रार्थी को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2001 की कोई जानकारी नही हो सकी थी । जब प्रार्थी नामांतकरण के प्रकरण में विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अजमेर आया तो वकील साहब ने प्रार्थी को बताया कि

उनके विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने भी निर्णय पारित कर दिया है । तत्पश्चात् प्रार्थी ने पाली जाकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया एवं जानकारी कर दिनांक 13.5.2005 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 27.05.2005 को नकल प्राप्त होने पर अजमेर आकर प्रार्थी ने अविलंब जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ वृद्ध व्यक्ति है जो केवल दस्तखत करना जानता है । प्रार्थी ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

4– अपील के गुणावगुण पर अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान सहायक कलक्टर, देसूरी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया कि अपीलांट के अभिभाषक ने बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अपीलांट की ओर से न्यायालय के समक्ष नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया । तत्पश्चात् भी न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना को सूचना दिए एकतरफा निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर पारित कर दी जबकि न्यायालय का यह दायित्व था कि अपीलांट की ओर से उसकी पीठ पीछे अभिभाषक द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर न्यायालय अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करता । इसके बावजूद विद्वान परीक्षण न्यायालय ने बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए एकतरफा में रेस्पोडेंटस का वाद डिक्री करने में विधिक भूल की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के

विपरीत अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेंटस के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट वे रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य विवादित संपूर्ण आराजी का विभाजन करते हुए बंटवारानामा तस्दीक कर दिया था जिसका कि उन्हें पूर्ण अधिकार था । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 को विवादित आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लड़कियों का बाय बर्थ राईट नहीं था तथा वे केवल पिता के निर्वसीयत फौत होने पर ही अपना हक क्लेम कर सकती है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में स्व0 जुझार सिंह ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी का दोनों भाईयों के मध्य 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार विभाजन कर कब्जा सौंप दिया था जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 181 व 182 विधिक तौर पर तस्दीक किये गये थे । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने भी अपीलांट की अपील को इस आधार पर निरस्त करने में भूल की है कि अपीलांट अपील के माध्यम से एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने का हकदार नहीं है । यदि अपीलांट एकपक्षीय पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहता है तो उसे आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत् परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिये थी । विधिनुसार अपीलांट के समक्ष एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तीन प्रकार के उपचार उपलब्ध है, जिनमें से अपील भी एक उपचार है तथा अपीलीय न्यायालय अवैधानिक तौर पर पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपील के माध्यम से निरस्त करने में पूर्णतया सक्षम है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने बिना अपीलांट का जवाब एवं पक्ष जाने ही परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को सही करार देते हुए स्व0 जुझार सिंह की सम्पति

में प्रत्यक उत्तराधिकारी का 1/8–1/8 हिस्सा होना मानने में भारी भूल की है । उपरोक्त आधारों पर परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली दिनांक 22.09.2001 एवं विद्वान सहायक कलक्टर, देसूरी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1998 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 1987 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1353, आर0आर0टी0 2002 (1) हाई कोर्ट पेज 648, आर0बी0जे0 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 286, डी0एन0जे0 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 47, आर0आर0डी0 1994 पेज 172, आर0बी0जे0 2003 पेज 44, डी0एन0जे0 2018 हाई कोर्ट पेज 1196, आर0बी0जे0 2010 एल0बी0 पेज 1 एवं आर0आर0डी0 1990 पेज 20 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया ।

5– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस स्व0 जुझांर सिंह के विधिक वारिसान है । विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जिसमें समस्त विधिक वारिसान का बराबर–बराबर हक व अधिकार निहित है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे इसी कारण अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होकर रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट को जवाबदावा हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया । अपीलांट ने परीक्षण

न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की । परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने के उपरांत अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो असंगत होने से खारिज कर शामिल पत्रावली किया गया है । नामांतकरण संख्या 181 व 182 के संबंध में की गई अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा निर्णय दिनांक 19.5.2000 द्वारा निर्णित होकर प्रकरण में स्व0 जुझार सिंह के समस्त वारिसान की जांच कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि नामांतकरण तस्दीक किये जाने से रेस्पो0/वादीगण पैतृक सम्पदा में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अपीलांट की परीक्षण न्यायालय में अपने पक्ष की पैरवी में घौर लापरवाही रही है । दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 2014 राज0 पेज 120, आर0आर0डी0 1978 पेज 305 एवं 476 हेड–नोट–बी, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 976, आर0बी0जे0 2017 पेज 122, आर0आर0टी0 2019 वोल.(1) पेज 847 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया । प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का आद्योपान्त परीशीलन किया तथा अध्ययन एवं मूल्यांकन किया । सर्वप्रथम हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है ।

7– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को अपील में गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8– प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किये जाने पर तहत न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद सूचना के प्रतिवादी/अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने पर तहत न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 पेश किया जिसे तहत न्यायलय ने स्वीकार कर पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की किन्तु इसके बावजूद प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश नहीं किया गया वरन् दिनांक 7.3.1998 को प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता ने नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड (No instruction plead) किया जिसके आधार पर तहत न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित कर दिनांक 15.04.1998 को वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर वादीगण एवं प्रतिवादी/अपीलांट को विवादित आराजी में 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । तहत न्यायालय की उपरोक्त कार्यवाहियों से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था किन्तु अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । यही नहीं

अपीलांट/प्रतिवादी ने तहत न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु समयावधि में आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत कार्यवाही नहीं कर सीधे ही अपील पेश की है । हम तहत् न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं की जा सकती है । विवादित आराजियात स्व0 जुंझारसिंह की थी जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण विधिक वारिसान है जिनका प्रत्येक का पैतृक आराजियात में विरासत के आधार पर समान हक व अधिकार है । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2001 द्वारा यथावत् रखा है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

8– उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खरिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, देसूरी, जिला पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1998 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2001 यथावत् रखे जाते है ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10– निर्णय सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(मंजू राजपाल)
सदस्य